GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI, DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION, MUNI MAYARAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110034. ESTABLISHMENT-IV).

No.F.3(08)/2022/TTE/E-IV//3746

Dated:28th July, 2023

To

System Analyst, DTTE (Hqs), GNCTD, Pitampura, Delhi.

Sub:

Regarding framing of Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS) in the pay level-1 (Rs.18000-56900/- in Department of Training & Technical Education, GNCTD.

Please find enclosed herewith copy of Delhi Gazette Notification dated 24.07.2023 for framing of Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff (MTS) in the pay level-1 (Rs.18000-56900/- in Department of Training & Technical Education, GNCTD, for uploading on the the website of the department.

This issues with the approval of the Dy. Director (Admn.).

Yours faithfully,

(C. SRI RAMAN) SECTION OFFICER (ADMN.)

Encl: - As above.

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247575 SG-DL-E-25072023-247575

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] No. 230]

दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2023/श्रावण 2, 1945

[रा.रा.स.से.दि. सं. 161

DELHI, MONDAY, JULY 24, 2023/SHRAVANA 2, 1945

[N. C. T. D. No. 161

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जुलाई, 2023

एफ.3(08)/2022/टीटीई/ई-IV/567.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा "प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग", राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को "मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)" भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।
 - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- PART IV
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/ हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

_			अनुसूचा
2	पदनाम पदों की संख्या		मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस)
2	ारा ना संख्या	:	
3	वर्गीकरण	1	*कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन
3	पगाकरण	:	
4	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	- -	केंद्रीय सेवा, समूह ग , अराजपत्रित अलिपिकीय
- 5	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	<u> </u>	स्तर : 1 (18000-56900/-रुपये) वेतन मैट्रिक्स में
<u>-</u>		<u> </u> :	लागू नहीं
U	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष*
		-	(केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष तक की छूट)
			नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
			*पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने की स्थिति में आ
	then ent -	<u>_</u>	सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगी।
	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	आवश्यक:
	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित		मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास।
	शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	:	दो साल
	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	:	सीधी भर्ती द्वारा ।

11	प्रोन्निति/प्रितिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्निति/प्रितिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	:	लागू नहीं
12	यदि कोई विभागीय पुष्टिकरण समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?	:	समूह 'सी' विभागीय पृष्टिकरण समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए): 1. प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत) - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य 3. उप सचिव (वित्त) - सदस्य। नोट: विभागीय पृष्टिकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा यदि विभागीय पृष्टिकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य से किनष्ठ होता है।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	:-	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

आर एलिस वाज़, आयुक्त-सह-सचिव (टीटीई)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 24th July, 2023

- F. 3(08)/2022/TTE/E-IV/567.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (MTS) in the Department of Training & Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely.-
- 1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Multi Tasking Staff (MTS), Recruitment Rules, 2023.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of post, its classification and level in pay matrix. The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualifications .- No Person,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for the appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non- Selection post	Age limit for Direct Recruits.
Multi Tasking Staff (MTS)	* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the Pay Matrix	Not applicable	18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. * In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.

7	8	9	10	11
Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment whether by Oirect Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	1
Essential:	Not applicable	Two years	By Direct recruitment.	Not applicabe
Matriculation or equivalent pass from Recognised Board/Institute.				

YG 22	12	13
If a Departmental Confirmation Committ		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Group 'C' Departmental Confirmation	Committee (for considering confirmation):	Not applicable
1. Principal Secretary/ Secretary (Power)		Process
2. Head of the Department concerned	Member	
3. Dy. Secretary (Finance)	-Member.	
Note: Senior most member of the Dep Chairperson in case the notified Chairpers happens to be junior to another member o	partmental Confirmation Committee shall act as son of the Departmental Confirmation Committee f Departmental Confirmation Committee.	

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Commissioner-cum-Secy. (TTE)